न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 52/अपील/2023 (GCMS No. 2023/197)	18.09.2023	05.02.2025

बउनवान

1. रमेश पुत्र मोहन जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेडा
2. शम्भू पुत्र मोहन जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेडा
3. सुरेश पुत्र मोहन जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेडा
4. तेजमल पुत्र मोहन जाति भील निवासी धनेश्वर, तहसील तालेडा
5. महावीर पुत्र मोहन जाति भील निवासी धनेश्वर, तहसील तालेडा
6. रामस्वरूप पुत्र मोहन जाति भील निवासी धनेश्वर, तहसील तालेडा
7. रामदेव पुत्र लालू जाति भील निवासी मोहीपुरा, तहसील तालेडा
8. माधोलाल पुत्र लालू जाति भील निवासी मोहीपुरा, तहसील तालेडा
9. सरदारा पुत्र भुरया जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा
10. पारी बेवा भुरया जाति भील निवासी धनेश्वर तहसील तालेडा

— अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा
2. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, उप तहसील डाबी

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलांटस की ओर से श्री मोहम्मद शरीफ, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 , 2 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 408 दिनांक 29.04.1997 ग्राम धनेश्वर से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार बून्दी के आदेश क्रमांक राजस्व/97/416 दिनांक 23.04.1997 की पालना में तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 53/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2023/197 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अपीलांट की ओर से दिनांक 27.01.2025 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया, जिसकी नकल पेरोकार सरकार को दी जाकर बहस सुनी गई। संलग्न दस्तावेज राजकीय रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां है, जो संदेय से परे होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाते है।

बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम धनेश्वर तत्कालीन तहसील बून्दी हाल तहसील तालेडा जिला बून्दी की भूमि खसरा सं. 171 की 15 बीघा भूमि भूरया पुत्र घासी जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी को मिसल नम्बर 1878 दिनांक 21.12.1975 को आवंटन की गई थी। जिसका विधिवत रूप से दखल आवंटी के मौके पर दिया गया था, जो नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 02.02.1976 से आवंटी भूरया के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की दी गई थी जिस पर वक्त आवंटन से ही लगातार कब्जा आज दिन तक आवंटी व आवंटी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान अपीलांटस का कब्जा चला आ रहा है। आवंटी स्वर्गीय भूरया की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका फोती इंतकाल संख्या 383 दिनांक 29.03.1995 से उसके वारिसान बेवा पारी, पुत्र मोहन, लालू व सरदारा के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया था। इनमें से मोहन एवं लालू की मृत्यु हो चुकी है, अपीलांट 1 लगायत 6 मृतक मोहन के वारिसान है तथा अपीलांट 7 व 8 मृतक लालू के पुत्र है। अपीलांट क्रम 9 भूरया का पुत्र सरदार व अपीलांट क्रम 10 भूरया की बेवा उक्त भूमि पर लगातार आज दिन तक कब्जा अपीलाण्ट का चला आ रहा है। उक्त भूमि ख.सं. 171/1 (जिसके वर्तमान ख.सं. 1184/171 है) अपीलांट के जानकारी के बगैर गलत रूप से नामान्तरकरण सं. 408 दिनांक 29.04.1997 से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सिवायचक दर्ज कर दी गई। जिस इंतकाल की प्रति में तहसीलदार बून्दी के आदेश क्रमांक राजस्व/97/416 दिनांक 23.04.1997 की पालना में सिवायचक दर्ज करना बताया है, जिसमें आदेश चस्पा होना लिखा गया है, परन्तु उक्त इंतकाल की नकल प्राप्त की गई तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई आदेश चस्पा नहीं था और काफी चाराजौरी व मशक्कत तथा जानकारी का भरसक प्रयास करने के बावजूद उक्त भूमि को सिवायचक किये जाने का कोई आदेश तहसील कार्यालय तालेडा व जिला लेण्ड रिकार्ड से नहीं मिला है। इसलिए उक्त आदेश के बजाय नामान्तरकरण की अपील की जा रही है। इस अपील में भी

जिला कलेक्टर, बून्दी

उक्त पत्रावली तलब की गई थी, इस पर तहसीलदार बून्दी द्वारा भूमि समर्पण की मिसल संख्या 3/97 की तहसील कार्यालय की समस्त शाखाओं में तलाशी करवायी गयी, किन्तु उक्त पत्रावली नहीं मिलने की सूचना न्यायालय को भिजवाई गई। इसी प्रकार तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त पत्रावली उनके कार्यालय में नहीं मिलने की सूचना भिजवाई गई है। उक्त भूमि आवंटन को आज दिन तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दिया गया, इसलिए उक्त भूमि का आवंटन विधिवत रूप से प्रभावशील है। आवंटन के 10 वर्ष के पश्चात आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे इसलिए उक्त भूमि किसी भी प्रकार से सिवायचक दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी। उक्त आवंटन दिनांक 21.12.1975 को हुआ है, जिसके 22 वर्ष पश्चात अवैध व गैर कानूनी तरीके से अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति एवं अनपढ ग्रामीण अपीलाण्टस को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर दिये बगैर उक्त भूमि बिना किसी न्यायालय के आदेश के इंतकाल सं. 408 दिनांक 29.04.1997 में दर्ज कर दी गई। जिसकी जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 05.09.2023 को मिलने पर हुई है, उक्त इंतकाल की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा दिनांक 05.09.2023 को ही जिला लेण्ड रिकार्ड कार्यालय बून्दी में प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल अपीलांट को दिनांक 19.09.2023 को प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी होते ही दिनांक 14.09.2023 को यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है फिर भी यदि अपील प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मियाद कन्डोन किये जाने हेतु अपील के संलग्न प्रस्तुत किया है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आरआरटी 2008(2) पेज 1406, आरआरटी 2004(1) पेज 374, आरआरसी 1996 पेज 372, आरआरटी 2023(1) पेज 623, आरआरटी 2002(3) पेज 1137, आरआरटी 2000(1) पेज 1406, डीएनजे (राज.) 2023(1) पेज 258 की नजीरें प्रस्तुत करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटस का नाम उक्त भूमि पर पूर्वानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 408 दिनांक 29.04.1997 की जानकारी दिनांक 05.09.2023 को होने पर नकले प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत किया जाना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध 26 साल बाद अपील पेश किये जाने का कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। जिससे यह अपील मियाद बाहर होने से बिना मेरिट पर सुने कानूनन मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। पेरोकार सरकार द्वारा आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार बून्दी के आदेश क्रमांक राजस्व/97/416 दिनांक 23.04.1997 की पालना में तस्दीक

जिला कलेक्टर, बून्दी

किया गया। अपीलांटस द्वारा उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी जाकर उक्त आदेश की पालना में दर्ज किये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की गई, जबकि उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार बून्दी का मूल आदेश नहीं है। ऐसे में अपील विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट है कि ग्राम धनेश्वर की आराजी खसरा संख्या 171/1 रकबा 15 बीघा भूमि म.पारी बेवा भूरया, मोहन, लालू ,सरदार पि0 भूरया कौम भील की गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/97/416 दिनांक 23.04.1997 की पालना में नायब तहसीलदार बून्दी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 29.04.1997 को तस्दीक किया जाकर उक्त भूमि सिवायचक दर्ज की गई। उक्त नामान्तरकरण से असंतुष्ठ होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील का परीक्षण का सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 29.04.1997 को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांटस द्वारा दिनांक 14.09.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.09.2023 को होना अंकित किया है। लेकिन अपीलांटस द्वारा यह अंकित नहीं किया गया कि उनको दिनांक 05.09.23 से पूर्व उनके खाते में दर्ज गैर खातेदारी की भूमि सिवायचक अंकित हो जाने की जानकारी 26 वर्षो तक नहीं होने का क्या कारण रहा है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांटस के दादा/पिता/पति भूरया के देहान्त के बाद उक्त वादग्रस्त आराजी उसके वारिसान बेवा पारी, पुत्र मोहन, लालू व सरदारा के नाम जर्ये फोती नामान्तरकरण गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी। गैर खातेदारान द्वारा उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई चाराजोही की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। यदि अपीलांटस का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होता हो उक्त भूमि दिनांक 29.04.1997 को सिवायचक दर्ज होने के बाद अपीलांटस के विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही की जाती, किन्तु अपीलांटस की ओर से ऐसे तथ्य प्रकट नहीं किये गये, जिससे उक्त भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं होना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में 26 वर्षो तक अपीलांटस द्वारा अपने नाम दर्ज गैर खातेदारी की उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं की गई हो, यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है, जबकि किसानों को

लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही किसानों को प्राप्त होता है। हस्तगत अपील में अपीलांटस द्वारा दिनांक 05.09.2023 से पूर्व 26 वर्ष तक अपने नाम गैर खातेदारी में दर्ज रही अपील विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं रहने का कोई कारण नहीं बताया गया। इस कारण अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अपीलांटस के प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से भलीभांति प्रकट है कि प्रार्थना पत्र में अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का विश्वसनीय एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांटस मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी